

प्रार्थीगण

अप्रार्थी

1 धरमाराम पुत्र सवाराम
जाति घांची निवासी सिरोही
तहसील व जिला सिरोही

बनाम

1.स्टेट, जरिये तहसीलदार, सिरोही

किस्म मुकदमा

राजस्व प्रा.पत्र अधारा 136 एल.आर एक्ट

रा.प्रा.पत्र सं. 43/2024

दिनांक	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुये
18-07-25	<p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी की ओर वकील श्री राजेन्द्र सिंह आढा व स्टेट की ओर से परोकार सरकार उपस्थित। अप्रार्थी स्टेट ने जरिये पत्रांक/कोर्ट/2025/643 दिनांक 15-07-2025 से प्रस्तुत जवाब को शामिल पत्रावली की गई, प्रति वकील प्रार्थी को उपलब्ध करवाई गई। तहसीलदार सिरोही से प्राप्त जवाब अनुसार प्रार्थी की आराजी सिरोही प्रथम में जमाबंदी संवत 2070-2073 के खाता संख्या 401 खसरा नंबर 21 रकबा 2.68 में संयुक्त खातेदारी है। वादीगण का नाम धरमा पुत्र हकिया दर्ज है जिसका हिस्सा 1/6 है जो आम बोलचाल की भाषा में सवीया के स्थान पर हकीया के उच्चारण से हुआ है। मौके पर जांच करने पर वादीगण के पहचान पत्र, बैंक खाता, आधारकार्ड एवं अन्य दस्तावेज के तहत सवाराम नाम दर्ज है। अतः हकीया व सवीया व सवाराम एक ही व्यक्ति है। अतः राजस्व जमाबंदी में खसरा संख्या 21 व खाता संख्या 401 में धरमाराम पुत्र हकिया के स्थान पर धरमाराम पुत्र सवाराम शुद्ध किया जाना उचित है।</p> <p>प्रकरण में वकील प्रार्थी व परोकार सरकार द्वारा अंतिम बहस हेतु निवेदन पर वकील प्रार्थी व परोकार सरकार की अंतिम बहस सुनी गई। हमने वकील प्रार्थी व परोकार सरकार की अंतिम बहस का गंभीरता पूर्वक मनन किया, विचरण प्रकरण की सम्पूर्ण पत्रावली व दस्तावेजात व स्टेट द्वारा प्रस्तुत जवाब का भी गहनतापूर्वक अवलोकन कर उस पर मनन किया।</p> <p>सम्पूर्ण प्रकरण के विवेचन के उपरान्त प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र अधारा 136 एल.आर एक्ट का तहसीलदार से प्राप्त जवाब के आधार पर स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सिरोही को आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी की आराजी सिरोही प्रथम में जमाबंदी संवत 2070-2073 के खाता संख्या 401 खसरा नंबर 21 रकबा 2.68 में धरमाराम पुत्र हकिया के स्थान पर धरमाराम पुत्र सवाराम संशोधन कर उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी अपडेट कर पालना से इस न्यायालय को अवगत करावें।</p>	



लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.)

सिरोही
(उपखण्ड अधिकारी)
(राज.)